संख्या-25/2024/001-339-12-5099-27-2024

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-बी०ए०/1188/पुनर्विनियोग/2023-24, दिनांक 16.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रू० 25.00 लाख (रूपये पचीस लाख मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-891 दिनांक 30.03.2024 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वर्तमान में प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक उ0प्र0 का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का होगा।

(9) योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत है।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-सयम पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

संख्या-25/2024/001-339-12-5099-27-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-8 (भाग-4)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-339-12-5-2024-12-5099-27-2024

विषय:- कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान गोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401000010300 (कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान)	01 (वेतन)	49,24,70,000 रुपये उनचास करोड़ चौबीस लाख सत्तर हजार मात्र	88,59,000 रुपये अट्ठासी लाख उनसठ हजार मात्र	25,00,000 ~~67,80,000~~ ~~रुपये सड़सठ लाख अस्सी हजार मात्र~~	4,99,70,000 ~~48,56,80,000~~	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401000010300 (कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	25,00,000 ~~57,74,000~~ ~~रुपये सत्तावन लाख चौहत्तर हजार मात्र~~	1,35,00,000 ~~1,67,74,000~~	2023-2024
011	2401000010300 (कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	0-00 ~~10,06,000~~ ~~रुपये दस लाख छह हजार मात्र~~	15,00,000 ~~25,06,000~~	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 मे उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- कृषि निदेशलाय/मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यकता है।

ब- कृषि निदेशालय में सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से प्लम्बर, कारपेन्टर, विद्युतकार, लिफ्टचालक, जनरेटर चालक, पम्प आपरेटर व सफाई हेतु लगाये गये कार्मिकों के भुगतान हेतु आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है.

बजट-1-891 30

संख्या-आर ई :< > -2023-24, दिनांक- मार्च, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

(~~सुरेश चन्द्र तिवारी~~)

~~उप सचिव।~~

(जयशंकर दुबे)

विशेष सचिव

Digitally Signed by जय शंकर

Date: 30-03-2024 16:16:30

Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20232024-339-12-5-2024-12-5099-27-2024, दिनांक 30 मार्च, 2024

लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

र द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

र (लेखा परीक्षा)प्रथमद्वितीय/, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

लेखाकार द्वितीय/प्रथम (आडिट/सिविल), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

क, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

धेकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

ग (व्ययक-आय)1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में।(

ग (व्यय नियंत्रण)1

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।